राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 132/2020

1. मथुरा देवी पत्नि स्व. भोजाराम गुर्जर निवासी बड्डू, तहसील करेडा, जिला भीलवाड़ा।	**बनाम**	1. शिवराज गोखरू पिता मूलचंद गोखरू निवासी बड्डू, तहसील करेडा, जिला भीलवाड़ा 2. ग्राम पंचायत सेणून्दा, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सेणून्दा, पंचायत समिति, करेडा जिला भीलवाड़ा।
–प्रार्थी/निगराकार		**–अप्रार्थीगण/गैर निगराकार**

जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत सेणून्दा, पट्टा संख्या 10 दिनांक 10.01.2003।

उपस्थित –

1. श्री हरदयाल वर्मा – अधिवक्ता निगराकार।
2. श्री मुकेश जैन– अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1।

:निर्णय:

निर्णय दिनांक :02-06.2023

निगराकार द्वारा जरिये अधिवक्ता यह निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान [पंच]ायतीराज अधिनियम, 1994 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार संख्या 01 को [अ]धिनस्थ ग्राम पंचायत, सेणून्दा ने दिनांक 10.02.2003 के निर्णयानुसार पत्रावली संख्या 02 के द्वारा [पट्टा] संख्या 10 विधि विरूद्ध जारी किया है एवं उक्त निर्णय अवैध होने से पट्टा संख्या 10 निरस्त [करने] योग्य है। ग्राम पंचायत सेणून्दा ने जिन पडौसों के मध्य स्थित मकान का सनद पट्टा जारी [किय]ा है, वह मकान गैर निगराकार संख्या 1 का है ही नहीं, सारी कार्यवाही कागजों में करके बिना [आप]त्तियां आमंत्रित किये उक्त पट्टा देने का आदेश कर पट्टा दिया है। विवादग्रस्त मकान [जि]सका सनद पट्टा उक्त गैर निगराकार ने बिना निगराकार की जानकारी में अधिनस्थ ग्राम पंचायत, [सेणू]न्दा से मिलीभगत करके जारी करवाया है वह मकान निगराकार का है। निगराकार ने उक्त [मका]न 75,000/– रूपये में गैर निगराकार संख्या 01 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जिसे करीब [... व]र्ष हो गये। विवादग्रस्त मकान से गैर निगराकार संख्या 01 का कोई लेना देना नहीं है क्योकि [...] प्रतिफल प्राप्त कर वह मकान निगराकार को विक्रय कर चुका है। निगराकार विधवा है जिसका [...] फायदा उठाकर अधिनस्थ ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर गैर निगराकार ने उक्त अवैध पट्टा [जारी] करवा लिया है।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा